मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमाँक – /4247/2013/12/1 भोपाल, दिनाँक –

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं
रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2. प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

3. प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

4. प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण
विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

5. प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन गृह विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

6. आयुक्त,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क,
अरेरा हिल्स, भोपाल।

7. उप महानिदेशक
भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग,
बिट्टन मार्केट, भोपाल

8. क्षेत्रीय नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो,
जबलपुर (म.प्र.)

9. कार्यपालक संचालक
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन
संगठन, भोपाल।

10. चीफ ट्रेफिक मैनेजर
सी.एफ.टी.एम.
वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे, इंदिरा मार्केट,
जबलपुर।

11. संचालक,
परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय,
परिवहन भवन वन पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली।

12. सदस्य सचिव,
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भोपाल।

विषय :– राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनाँक 12.12.2013 के कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमाँक 22761–22773/13 दिनाँक 10.12.2013

———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि खनि रियायत के आवेदनों के निराकरण एवं इसके लिए अन्य विभागों से प्राप्त अनुमतियों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनाँक 12.12.2013 आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(एस.के. शिवानी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

D:\2013\NOTESHEET\DEC-2013.doc

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनाँक 12.12.2013 को मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमाँक 315 में सम्पन्न राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण।

———

दिनाँक 12.12.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए, संलग्न एजेण्डा में दर्शित विषयों पर चर्चा की गई।

पूर्व बैठक दिनाँक 08.08.2011 को सम्पन्न राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया।

बैठक हेतु नियत एजेण्डा अनुसार चर्चा के उपरांत निम्न निर्देश दिये गये :–

1) जिला, संचालनालय एवं शासन स्तर पर लंबित खनि रियायत आवेदन पत्रों का निराकरण नियत समयावधि में किया जाये। भविष्य में प्रस्तुत जानकारी में Pendancy (लंबित आवेदन किस–किस अवधि हेतु लंबित हैं) दिखाई जावे। गौण खनिज के आवेदनों का समयावधि में निराकरण सुनिश्चित किये जाने हेतु गौण खनिज के आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही को राज्य शासन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया जाये। आवेदन पत्रों के निराकरण की अवधि विभाग स्वयं नियत करें।

2) खनि रियायत स्वीकृत करने के लिये वन एवं राजस्व विभाग से प्राप्त अनापतित्तयों के अभाव में आवेदन पत्रों के निराकरण में हो रहे विलंब के कारणों के संबंध में यह पाया गया कि आवेदित क्षेत्र के नक्शे में अक्षांश एवं देशांश दर्शित न होने से आवेदित क्षेत्र के स्थल निरीक्षण में वन विभाग को कठिनाई हो रही है। अतः भविष्य में आवेदन पत्रों के साथ संलग्न मानचित्र में आवेदित क्षेत्र के कोआर्डिनेट्स (अक्षांश एवं देशांश) की जानकारी (जो कि आसानी से गूगल से प्राप्त किये जा सकते हैं) आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।

शेष लंबित आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदकों को आवेदित क्षेत्र के कोआर्डिनेट्स (अक्षांश एवं देशांश) की जानकारी प्रस्तुत करने की सूचना भेजी जाये। नियत समयावधि में आवेदकों द्वारा जानकारी प्रस्तुत न किये जाने में लंबित आवेदन पत्रों का नियमानुसार निराकरण किया जाये।

मुख्य खनिजों के वर्षों से लंबित आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जा यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाये जाते हैं तो आवेदक को समय सीमा में आवेदन पत्र की पूर्ति करने हेतु लेख किया जाये। यदि आवेदक द्वारा पूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3) सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत शासन, खान मंत्रालय द्वारा देश के समस्त प्रदेशों को माइनिंग टेनामेंट सिस्टम (एम.टी.एस.) के अंतर्गत कम्प्यूटराईजेशन की कार्यवाही की जा रही है। खनिज साधन विभाग द्वारा राज्य शासन के आई.टी. विभाग से भी अनुबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत पृथक से कार्यवाही आई.टी. विभाग के माध्यम से की जा रही है।

इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश दिये गये कि स्टेट आई.टी. विभाग द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसे निरंतर रखा जाए। भारत शासन द्वारा जब माइनिंग टेनामेंट सिस्टम (एम.टी.एस) के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, तत्समय पुनः विचार किया जायेगा।

4) खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन क्षेत्रों में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन अधिक होता है, ऐसे जिलों को चिन्हांकित किया जाये। ऐसे जिलों में संयुक्त रूप से अन्य विभागों (वन, पुलिस, राजस्व एवं परिवहन) से समन्वय कर, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

5) म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम से प्राप्त राशि का नियमानुसार दो प्रतिशत तक विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।

6) स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव वित्त विभाग को शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये।

खनि निरीक्षक के रिक्त 66 पदों के विरूद्ध चयनित 63 उम्मीदवारों के संबंध में इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

7) गौण खनिजों की रायल्टी/डेड रेंट का नियमानुसार पुनरीक्षण के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

8) MOU के प्रकरणों से संबंधित आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

9) खनिज रियायत के संबंध में पर्यावरणीय अनुमति की अनिवार्यता संबंधी स्पष्ट निर्देश सभी जिलों को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

10) खनिज अधिनियम/नियम एवं म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) में आरोपित अर्थदण्ड में विरोधाभास होने से इस संबंध में खनिज एवं राजस्व विभाग आपस में चर्चा कर, स्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

11) मुख्य खनिज से संबंधित ऐसे जिले जहाँ पर खनिज प्रशासन का कार्य ज्यादा है एवं अमले की कमी है, ऐसे जिलों में एक या दो राजस्व निरीक्षकों को खनिज शाखा में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में खनिज विभाग, राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजे।

(एस.के. पेंशवानी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग